न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या :— 02 / 221 / 2013

प्रेम देवी बनाम सुल्तान
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 29.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.09.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 28 / 0.20, 29 / 3845 / 0.02, 61 / 0.16, 81 / 0.15, 30 / 0.03, 31 / 0.02 है. वाके ग्राम बीनापट्टी तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 01.10.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 09.11.2016 को वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी को जवाब हेतु कई मौके दिए गए हैं परन्तु उनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2013 से प्रभावी चल रहा है जिसे करीब 05 वर्ष का समय हो गया है इसलिए प्रकरण में पूर्व टी.आई. आदेश दिनांक 05.09.2013 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 28 / 0.20, 29 / 3845 / 0.02, 61 / 0.16, 81 / 0.15, 30 / 0.03, 31 / 0.02 है. वाके ग्राम बीनापट्टी तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 05.09.2013 ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official